FIROZABAD POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा "

प्रेस नोट पुलिस मुठभेड़ थाना रसूलपुर दिनाँक 14-11-2026 जनपद फिरोजाबाद।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन आगरा एवं श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निकट पर्यवेक्षण में थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा थाना रसूलपुर व थाना बसई मौहम्मदपुर क्षेत्रान्तर्गत छिनैती/लूट की घटना कारित करने वाला अभियुक्त मोहित पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार ।

- पुलिस मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से शातिर अभियुक्त मोहित हुआ घायल।
- अभियुक्त मोहित के 01 अन्य साथी अभियुक्त विकाश पुत्र लालता प्रसाद उर्फ पिण्टू निवासी गली नं0-03 ए0जे0 पब्लिक स्कूल के पास सेक्टर नम्बर 03 सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 14/11/2026 को छिनैती/लूटे गये 6,500/- रुपये व घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामदगी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।
- अभियुक्त मोहित के कब्जे से थाना रसूलपुर व बसई मौहम्मदपुर क्षेत्रान्तर्गत छिनैती/लूटे गये रुपयों में से 6,600/- रुपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद।
- घायल अभियुक्त मोहित को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल में कराया गया भर्ती।

दिनांक 07-11-26 को आवेदिका शीबा खान (एडवोकेट) का मा0 न्यायालय डबरई ऑटो में अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ जाते समय पीछे से आ रही पल्सर ब्लैक बाइक जिस पर दो लड़के सवार थे, के द्वारा आवेदिका का हेन्ड बैग खींच कर भाग जाना तथा उक्त लडकों का पीछा करते समय पीछे बैठे लड़के के द्वारा तमन्चा दिखाकर धमकी देते हुये चले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 552/26 धारा 309(4) बीएनएस0 थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद पर पंजीकृत कराया गया था ।

दिनांक 08.11.2026 को थाना बसई मौहम्मदपुर पर आवेदक संजय कुमार द्वारा अपनी पत्नी व बच्चों के साथ टूण्डला से ऑटो में बैठकर अपने घर बिलहना आते समय गाजीपुर रोड पर पीछे से मोटर साइकिल सवार दो लडकों के द्वारा वादी की पत्नी का पर्स झपट्टा मारकर छीनकर भाग ले जाने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 177/26 धारा 304(2) बीएनएस0 थाना बसई मौहम्मदपुर फिरोजाबाद पर पंजीकृत कराया गया था।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक आगरा, जोन आगरा व श्रीमान पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा के निर्देशन में एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री आदित्य लांग्हे के निकट पर्यवेक्षण में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 552/26 धारा 309(4) बीएनएस0 का सफल अनावरण कर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के उद्देश्य से थाना रसूलपुर की 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा की गयी विवेचना के दौरान 02 अभियुक्तों 01.विकाश पुत्र लालता प्रसाद उर्फ पिण्टू निवासी गली नं0-03 ए0जे0 पब्लिक स्कूल के पास सेक्टर नम्बर 03 सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद व 02.मोहित पुत्र सूरज निवासी नगला पचिया हिमायूंपुर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद का नाम प्रकाश में आया। इसी क्रम में आज दिनांक 14/11/2026 को थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 552/26, व थाना बसई मौहम्मदपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 177/26 में वांछित विकाश पुत्र लालता प्रसाद उर्फ पिण्टू निवासी गली नं0-03 ए0जे0 पब्लिक स्कूल के पास सेक्टर नम्बर 03 सुहागनगर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद को छिनैती/लूटे गये 6,500/- रुपये व अन्य बरामदगी सहित गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

प्रकरण में वांछित 01 अन्य अभियुक्त मोहित की गिरफ्तारी हेतु थाना रसूलपुर टीम द्वारा प्रभावी दबिश दी जा रही थी इसी क्रम में थाना रसूलपुर टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 552/26 धारा 309(4) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त मोहित मोढ़ा जलालपुर से मोतीनगर की तरफ आने वाला है। उक्त सूचना पर थाना रसूलपुर पुलिस टीम द्वारा मोढ़ा जलालपुर से आने वाले रास्ते पर जगदम्बा भट्टा मोतीनगर के पास अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु घेराबंदी कर अभियुक्त को रोकने का प्रयास किया गया। घेराबंदी के दौरान पुलिस टीम को नजदीक आता देख अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम मोहित पुत्र सूरज यादव नि0 नगला पचिया हिमायूपुर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद बताया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त की पहचान थाना रसूलपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 552/26 धारा 309(4) बीएनएस0 एवं थाना बसई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 304(2) बीएनएस0 में वांछित अभियुक्त के रूप में हुई है। अभियुक्त के कब्जे से, 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जिंदा कारतूस 315 बोर, 03 खोखा कारतूस 315 बोर छिनैती/लूट किये गये रुपयों में से 6,600/- रुपए बरामद हुए हैं। घायल अभियुक्त मोहित को पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त-

1. मोहित पुत्र सूरज निवासी नगला पचिया हिमायूपुर थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

1. छिनैती/लूट किये गये रुपयों में से 6,600/- रुपये।
2. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
3. 02 जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. 03 खोखा कारतूस 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त मोहित–

1- मु0अ0सं0 552/26 धारा 309(4), 317(2) बीएनएस0 थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2- मु0अ0सं0 177/26 धारा 304(2) बीएनएस0 थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद।
3- मु0अ0सं0 362/2026 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
4- मु0अ0सं0 347/2023 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पोक्सो अधिनियम थाना दक्षिण जनपद फिरोजाबाद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
2. उ0नि0 निशान्त कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
3. उ0नि0 जितेन्द्र कुमार गौतम थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
4. कां0 610 विवेक यादव थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
5. कां0 690 प्रिंसराज कम्बोज थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
6. कां0 आकाश थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।
7. कां0 योगेन्द्र कुमार थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद।